अनुदान संख्या 94 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 94 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1224,09,00	1224,11,00	1142,93,33	-81,17,67
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				80,96,94
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1,06,00	96,42	-9,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9,58

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	3637.00	2592.74	2592.76	+ 0.02
पु.	R.	-1044.26			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	111972.00			
पू.	S.	2.00	111721.32	111700.57	-20.75
पु.	R.	-252.68			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6800.00			
			..	..	..
पु.	R.	-6800.00			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹6800.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6700.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹6800.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹6700.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(का) "सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹2450.00 लाख;

(A) "Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances" - ₹2450.00 lakhs;

(खा) "दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजनाएं" – ₹1500.00 लाख;

(B) "Schemes for Implementation for Persons with Disabilities Act" - ₹1500.00 lakhs;

(गा) "दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना" – ₹1300.00 लाख;

(C) "Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme" - ₹1300.00 lakhs;

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को वित्तपोषण योजना" – ₹840.00 लाख; और

(D) "Scheme for Funding to National Institutes" - ₹840.00 lakhs; and

(ङ) “दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” – ₹610.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग और शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग” के अंतर्गत – ₹1044.24 लाख की बचत (₹3637.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा अधिवक्ताओं एवं पेशेवरों के कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(का) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(क) “दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” – राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹1080.96 लाख की बचत (₹2577.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) “सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण” – ₹1182.14 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9615.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” –

(क) “सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण” – ₹927.38 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

(E) “Scholarship for Students with Disabilities” - ₹610.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Department of Empowerment of Persons with Disabilities” - saving of ₹1044.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3637.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less bills of advocates and professionals.

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Scholarship for Students with Disabilities” - saving of ₹1080.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2577.00 lakhs) was due to non-receipt of verified proposals towards Scholarship from National Scholarship Portal.

(b) “Social Welfare - Welfare of Handicapped” - saving of ₹1182.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9615.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023); and

(B) “Tribal Area Sub- Plan” -

(a) “Social Welfare - Welfare of Handicapped” - saving of ₹927.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5335.25 lakhs

₹5335.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, सीपीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ₹911.00 लाख की बचत (₹1333.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

2. उपर्युक्त बचतों कों आंशिक रूप से (₹4153.52 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया, जैसा कि पहले ही संसद को सूचित किया जा चुका है, जबकि दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – दिव्यांगजनों का कल्याण – राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थि विकलांग संस्थानों का विस्तार और सुधार" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा तथा अंततः उसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from CPWD, National Institutes, State Governments/Union Territories and implementing agencies.

(b) "Scholarship for Students with Disabilities" - saving of ₹911.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1333.00 lakhs) was due to non-receipt of verified proposals towards scholarship.

2. The above savings were partly (₹4153.52 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped".

3. In the capital section of grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.